

बिहार सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग

-आदेश:-


सं०-15/बि०स०से०-01-07/2009(खंड-III) सा०प्र०-15789/पटना-15, दिनांक-25-11-16

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम-3, 2008) के नियम-9(1)(ii) एवं बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-6(2)(i) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नांकित उच्चवर्गीय लिपिकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से बिहार सचिवालय सेवा के सहायक के पद (वेतनमान बैण्ड 9300-34,800/-+ग्रेड पे 4600/-) पर सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित विभाग/कार्यालय में सहायक के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मि का नाम एवं जन्म तिथि	वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन का विभाग	नये पदस्थापन हेतु प्रस्ताव
1	2	3	4	5
1	श्रीमती शारदा कुमारी, 02.02.1959	317	स्वास्थ्य विभाग	शिक्षा विभाग
2	श्री दिलीप कुमार सिंह 20.02.1959	28	पथ निर्माण विभाग	स्वास्थ्य विभाग
3	श्री राजेश चंद्र दूवे 02.03.1965	30	पथ निर्माण विभाग	पर्यटन विभाग
4	श्री मदन लाल मिश्र 02.01.1957	163	सामान्य प्रशासन विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग
5	श्रीकांत सिंह, 10.02.1957	165	वित्त विभाग	वित्त विभाग
6	श्री विरेन्द्र कुमार जायसवाल, 05.05.1958	174	पथ निर्माण विभाग	अभियोजन निदेशालय

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ सहायक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

3. यह सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस. एल.पी.(सी.) सं०-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।




(एम०एस०अंसारी)

सरकार के अवर सचिव,

सं०-15/बि०स०से०-01-07/2009(खंड-III) सा०प्र०-15789/पटना-15, दिनांक-25-11-16

प्रतिलिपि:-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,

सं०-15/बि०स०से०-01-07/2009(खंड-III) सा०प्र०-15789/पटना-15, दिनांक-25-11-16

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले. एवं ह.) बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोष) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के अवर सचिव

सं०-15/बि०स०से०-01-07/2009(खंड-III) सा०प्र०-15789/पटना-15, दिनांक-25-11-16

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/कार्यालय प्रधान, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-09, 15 एवं 16 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना तथा सभी नवप्रोन्नत सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि नवप्रोन्नत सहायकों को नवपदस्थापित विभाग/कार्यालय में योगदान देने हेतु 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर विरमित किया जाना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।



सरकार के अवर सचिव,

सं०-15/बि०स०से०-01-07/2009(खंड-III) सा०प्र०-15789/पटना-15, दिनांक-25-11-16

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।